भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1422
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएमएफएमई के अंतर्गत आवंटित धनराशि

1422. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएमएफएमई) योजना के आरंभ से विशेषकर हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इसके अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमियों को कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं/की जा रही है;

(ग) क्या उक्त योजना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा हरियाणा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में धनराशि और अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (31 जनवरी, 2025 तक) 2652.61 करोड़ रुपये का केंद्र हिस्सा जारी किया गया है। इसमें से 48.92 करोड़ रुपये हरियाणा राज्य को जारी किए गए हैं। हालाँकि, इस योजना के तहत जिला/निर्वाचन क्षेत्रवार धनराशि आवंटित नहीं कि जाती है। योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की आवश्यकता के आधार पर संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा धन का वितरण तय किया जाता है।

(ख): पीएमएफएमई योजना के तहत क्षमता निर्माण घटक जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत और समूह श्रेणी (एसएचजी/एफपीओ/सहकारिता) के सभी आवेदकों के लिए 24 घंटे/3 दिन का खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण और प्रारंभिक पूँजी के एसएचजी लाभार्थियों के लिए 8 घंटे/1 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता कार्य प्रणाली, उद्यमिता विकास, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, मूल्य संवर्धन का दायरा और खाद्य क्षेत्र के लिए प्रासंगिक प्रमाणन शामिल हैं।
इस घटक के अंतर्गत कुल 92,677 लाभार्थियों (31 जनवरी 2025 तक) को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 483 लाभार्थियों को हरियाणा राज्य में प्रशिक्षित किया गया है।

(ग): हाँ, महोदय । पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत देशभर में लगभग 6,80,754 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है, जिनमें हरियाणा राज्य में 4946 अवसर (31 जनवरी 2025 तक) शामिल हैं।

(घ): योजना के अंतर्गत निधियों का वितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उस ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों को स्वीकृत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए निधियों की आवश्यकता के आधार पर तय किया जाता है क्योंकि यह योजना मांग आधारित है।

तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियां और एक्सपो, मिलेट मेले, क्रेता-विक्रेता बैठकें, जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य योजना के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाना है।

*****